6th ANNUAL REPORT 2010-11

RSBC

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)

RAJASTHAN STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED

(A Unit of State Government)

Scanned with CamScanner

अनुक्रमणिका

वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	1
निदेशकों का प्रतिवेदन	3
अनुपालना प्रमाण पत्र	6
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	7
तुलन पत्र	14
लाभ एवं हानि खाता	15
अनुसूचियां	16-27
लेखों पर टिप्पणियाँ	28
तुलन पत्र सारांश एवं निगम के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	34
नकद प्रवाह विवरण	35
लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर उत्तर	40
सी. ए. जी. की टिप्पणी	42

Scanned with CamScanner

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष	:	**श्री सी.के.मेथ्यू** अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर
निदेशक		1. **श्री राकेश वर्मा** प्रमुख शासन सचिव, आयोजना राजस्थान सरकार, जयपुर
		2. **श्री निरंजन आर्य** आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
		3. **श्री अभय कुमार** शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार, जयपुर
प्रबन्ध निदेशक	:	**श्री दिनेश कुमार** आयुक्त, आबकारी विभाग राजस्थान सरकार, उदयपुर
कार्यकारी निदेशक	:	**श्री श्रवण साहनी**
कम्पनी सचिव	:	**श्री आर.के. सिंघल**
वैधानिक अंकेक्षक	:	**धूत एण्ड एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स**

पंजीकृत कार्यालय - वित्त भवन, डी ब्लाक, प्रथम मंजिल,
जनपथ, जयपुर-302005
फोन : 0141-2744231-9
फैक्स : 0141-2744237
ई मेल- ed@rsbcl.net

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

डी - ब्लाक, प्रथम तल, वित्त भवन-जयपुर

संख्या ए-2 (5)

दि. 15 सितम्बर, 2011

सेवा में,
समस्त अंशधारक,
निदेशक एवं अन्य

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंशधारियों/सदस्यों की छठी वार्षिक आमसभा बुधवार दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को कॉरपोरेशन के पंजीकृत कार्यालय में उक्त पते पर निम्नांकित कार्य सम्पादन हेतु सायंकाल 5.00 बजे आयोजित होगी।

यदि उचित समझा गया तो संशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रुप में पारित करने के लिए विचार करना।

साधारण कारोबार के रुप में :

1. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लाभ-हानि खाता तथा उसी दिनांक की बैलेंस शीट उस पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंशधारियों/सदस्यों हेतु प्रस्तुत निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत करना।
2. लाभांश, यदि कोई हो, घोषित करना।
3. यह भी प्रस्तावित है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (8) एए के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2010-11 के ए वैधानिक लेखा परीक्षको के लिए देय पारिश्रमिक रु 90,000/- एवं सर्विस टैक्स प्रतिवर्ष तथा यात्रा भत्ता व अन्य खर्चे अधिकतम 45,000/- निर्धारित किया जाता है।
   यह भी प्रस्तावित है कि कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (8) एए के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षकों के लिए देय पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

स्थान : जयपुर
दिनांक : 15.9.2011

हस्ताक्षरित
(आर.के.सिंघल)
कम्पनी सचिव

नोट :

1. कोई भी सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत है, वह स्वयं के बदले मतदान में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है, परन्तु उस प्रतिनिधि के लिए कॉरपोरेशन का सदस्य होना आवश्यक है। इसके प्रभावी होने के लिए प्रतिनिधित्व निगम के मीटिंग के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रतिनिधत्व - प्रारुप संलग्न है।
2. बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, वैद्यानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ एवं अंशधारियों को निदेशको का प्रतिवेदन संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अभी आना शेष है, अतः बैठक के दौरान उपलब्ध करा दी जायगी।

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

डी - ब्लाक, प्रथम तल, वित्त भवन-जयपुर

दि.

संख्या ए-2 (5)
सेवा में,
समस्त अंशधारक,
निदेशक एवं अन्य

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंशधारियों/सदस्यों की छठी वार्षिक आमसभा बुधवार दिनांक 16 नवम्बर, 2011 को कॉरपोरेशन के पंजीकृत कार्यालय में उक्त पते पर निम्नांकित कार्य सम्पादन हेतु सायंकाल 4.00 बजे आयोजित होगी।

यदि उचित समझा गया तो संशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रुप में पारित करने के लिए विचार करना।

साधारण कारोबार के रुप में :

1. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लाभ-हानि खाता तथा उसी दिनांक की बैलेंस शीट उस पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंशधारियों/सदस्यों हेतु प्रस्तुत निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत करना।
2. लाभांश, यदि कोई हो, घोषित करना।
3. यह भी प्रस्तावित है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (8) एए के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक मैसर्स धूत एण्ड एसोसिएट, सी.ए., जयपुर को पारिश्रमिक दिया जाना है और यह 90,000/- (सेवाकर अतिरिक्त) प्रतिवर्ष और यात्रा व अन्य खर्चे अधिकतम 45,000/- निर्धारित किया जाता है।
   यह भी प्रस्तावित है कि कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (8) एए के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षकों के लिए देय पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

स्थान : जयपुर
दिनांक : 8.11.2011

हस्ताक्षरित
(आर.के.सिंघल)
कम्पनी सचिव

नोट :

1. कोई भी सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत है, वह स्वयं के बदले मतदान में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है, परन्तु उस प्रतिनिधि के लिए कॉरपोरेशन का सदस्य होना आवश्यक है। इसके प्रभावी होने के लिए प्रतिनिधित्व निगम के मीटिंग के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व - प्रारुप संलग्न है।
2. बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ एवं अंशधारियों को निदेशको का प्रतिवेदन संलग्न है।

Scanned with CamScanner

(31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अंशधारकों /सदस्यों हेतु निदेशकों का प्रतिवेदन)

महानुभावो,

आपको निगम के निदेशकों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष को निगम के कार्यों का छठा वार्षिक प्रतिवेदन अंकेक्षित लेखा खातों सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. व्यापारिक परिचालन :

1.1 मदिरा का विपणन :

निगम ने आई.एम. एफ.एल. और बीयर के विक्रय हेतु बाजार की गतिशीलता से अप्रभावित नीति बनाई है। परिणामस्वरुप, विक्रेताओं के बीच वर्ष भर स्वस्थ स्पर्धा जारी रही है।

निगम ने अपने पुराने अनुभव के आधार पर अपनी नीतियों में की गई छोटी छोटी कठिनाइयों को चालू वर्ष में दूर करने का प्रयास किया है। निगम निरंतर अपने सारे अंशधारकों से सम्पर्क में है एवं नीति विषयक कमियाँ दूर करने एवं कार्य-क्षमता बढाने के लिए सदैव तत्पर है।

1.2 कार्य प्रणाली में पारदर्शिता/आन लाइन परिचालन :

निगम अपनी समस्त व्यापारिक गतिविधियाँ, वेब-आधारित आन लाइन सॉफ्टेवेयर के द्वारा करता है। जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाना सम्भव हो गया है। इस सॉफ्टेवेयर द्वारा किये जाने वाले समस्त व्यापारिक लेन देन केा सीधे देखने का अधिकार सभी आपूर्तिकर्ताओं और आबकारी विभाग, राजस्थान को है, जिससे वे समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें जैसे कि ओ.एफ.एस. जारी करना, गोदाम में माल की आवक , विभिन्न ब्रांडो की बिक्री, विभिन्न ब्रांड के स्टॉक की स्थिति, साप्ताहिक भुगतान, आबकारी कर की वसूली इत्यादि। साथ ही प्रत्येक मास में सम्बन्धित खुदरा व्यापारियों को उनके खाते की नकल उनके मिलान करने के उद्देश्य हेतु दी जाती है।

1.3 आधारभूत सुविधाऐं :

सभी डिपो फर्नीचर व टेलीफोन आदि नित्योपयोगी सुविधाओं के साथ ही कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा और आनलाइन सॉफ्टवेयर संचालन के लिए वी सैट, आन लाइन यू पी एस एवं विद्युत संकट से मुक्ति के लिए जैनरेटर सैट से भी सुसज्जित है।

1.4 वित्तीय प्रबन्धन :

सशक्त एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन कॉरपोरेशन की मुख्य शक्ति है। निगम की मुख्य वाणिज्यिक क्रिया विशेष रूप से आई.एम.एफ.एल/ बीयर की खरीद व बिक्री वास्तविक समय पर ऑन लाइन हैं। जिसके कारण कॉरपोरेशन का समस्त कार्य सुव्यवस्थित है। आपूर्तिकर्ताओं को स्टॉक, बिक्री,बकाया राशि की स्थिति किसी भी समय, कहीं भी देखने के लिए लोगिन/पासवर्ड सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह प्रक्रिया निगम के कार्यकलापों को वास्तविक पारदर्शिता प्रदान करती है।

इस साल में एक उल्लेखनीय बदलाव निगम की बैंकिंग व्यवस्था में किय गया है, जिसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं यूको बैंक के द्वारा कोर बैंकिंग साल्यूशन (सी.बी.एस.) सुविधा प्रदान की गई है। बैंक द्वारा भेजा जाने वाला दैनिक बैंकिंग स्टेटमेंट और इसका शाखानुसार/डिपो अनुसार व्यवस्थित 'साफ्टवेयर मोड्यूल' के उपयोग से डिपो पर दैनिक जमा का मिलान सम्भव करता है। अब यह बताने की आवश्यकता है कि सी बी एस नैटवर्क (कहीं भी बैंकिंग) के प्रयोग से जयपुर सिंगलकोर बैंक खाते में रिटेलर्स को राजस्थान की करीब 175 शाखाओं के द्वारा राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे किसी भी शाखा में जमा राशि निगम के जयपुर संधारित केन्द्रिय खातें में तुरन्त जमा हो जाती है। उक्त व्यवस्था में उल्लेखनीय बात यह है कि खाते में दो लाख रुपये से ज्यादा बैलेंस होते ही स्मार्ट रोमर स्कीम के अंतर्गत यह राशि स्वतः ही फिक्सड डिपॉजिट (एफ.डी.आर) खाते में चली जाती है जिस पर कॉरपोरेशन को ब्याज अर्जित होता है। सप्लायर्स

Scanned with CamScanner

व सभी सम्बन्धित अन्य पार्टियों को समय पर निर्धारित भुगतान निगम की कार्यकुशलता का स्पष्ट घोतक है। वर्ष के दौरान निगम ने सम्बन्धित सप्लायर्स को चैक प्रदान करने के स्थान पर देय साप्ताहिक भुगतान पूर्णतः आर.टी.जी.एस.(रियल टाइम ग्रास सैटलमेंट) के द्वारा करना प्रारम्भ कर दिया है।

1.5 भावी दृष्टिकोण :

निगम की चतुर्थ वर्ष की कार्यवाही सार्थक सिद्ध हुई है जैसा कि निगम ने सरकार का विश्वास अर्जित किया है। अपनाई गई नीतियों से अधिक लाभांश सृजित हुवा है और पहले की तरह सरकारी नीतियों को मैत्रीपूर्ण चेहरे के साथ क्रियान्वयन किया है। आपके निदेशक आश्वस्त हैं कि निगम भविष्य में भी आबकारी सैक्टर में सुधार हेतु एक सार्थक भूमिका का निर्वाह करेंगे।

2.1 वित्तीय परिणाम :

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन की कुल बिक्री रू. 2295.72 करोड़ (453.43 करोड़ वैट सहित) एवं बिना वैट के कुल बिक्री रु 1842.29 करोड की है जब कि गतवर्ष यह रु. 1569.47 करोड़ बिना वैट थी। वर्ष 2009-10 में प्रदत्त रु. 24.00 करोड़ के स्थान पर इस वर्ष प्रिविलेज फीस के रुप में रु.29.00 करोड़ चुकाए गए।

वर्ष में अर्जित ब्याज में 117.05 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई । वर्ष 2009-10 में रु. 3.27 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था जबकि इस वर्ष अर्जित ब्याज रु. 7.10 करोड़ का रहा।

2.2 लाभांश :

निदेशक मंडल ने प्रदत्त पूँजी पर 10 प्रतिशत की दर से लाभांश देने की अनुशंसा की है। लाभांश भुगतान राशि रु. 23,24,500/- (23,39,900) (लाभांश वितरण कर सहित) की आवश्यकता होगी।

3. बैलेंस शीट की तिथि से आज तक के बीच महत्वपूर्ण तथ्यात्मक परिवर्तन एवं प्रतिवद्धता - कुछ नहीं।

4. निवेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

4.1 यह किचालू वर्ष के वित्तीय खाते बनाने में एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड्स का पालन किया गया है व महत्वपूर्ण अंतर के लिए खुलासा किया गया है

4.2 यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया, उन्हें निरन्तर प्रयुक्त किया एवं ऐसे निर्णय लिये व अनुमान लगाये जो उचित एवं सूझबूझयुक्त थे। वे वितीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कामकाज की सत्य व स्पष्ट स्थिति तथा इस अवधि में कम्पनी के लाभ या हानि का सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

4.3 यह कि निदेशकों ने कम्पनी के अनुसार लेखा अभिलेखों के संधारण के लिए, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

4.4 यह कि निदेशकों ने चालू प्रतिष्ठान (ऑन गोइंग) के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

5. पूँजीगत संरचना:

आलोच्य वर्ष में निगम की राशि रु. 5.00 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूँजी एवं राशि रु. 2.00 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6. व्यवसाय (टर्न ओवर) :

इस वर्ष निगम का व्यवसाय गत वर्ष के व्यवसाय राशि रु. 1569.47 करोड़(बिना वैट) की तुलना में राशि रु.2295.72 करोड़ (मय राशि रु. 453.43 करोड वैट सहित) बिना वैट कुल व्यवसाय राशि रु. 1842.29 करोड़ है ।

Scanned with CamScanner

7. **वर्तमान दृष्टिकोण :**

चालू वर्ष में आपके निगम का कार्य निष्पादन आशावादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है। हमें विश्वास है कि हम चालू वर्ष में और उसके बाद भी निगम के विकास को कायम रखेंगे एवं उसकी लाभ प्रदत्तता में वृद्धि करेंगे।

8. **प्रोद्योगिकी :**

निगम किसी विदेशी प्रोद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहा है। उसने ऊर्जा संरक्षण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है।

9. **कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत प्रकटीकरण :**

कम्पनी अधिनियम 1956 के साथ ही नियम 1975 (कर्मचारियों के सम्बन्ध में) के प्रावधानों के अनुसार यह उल्लेख किया जाता है कि आलोच्य वर्ष में किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है, अतः इस सम्बन्ध में सूचना शून्य समझी जावे।

10. **वैयक्तिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध :**

निगम के प्रवन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच वर्ष भर सम्बन्ध सुखद एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

11. **बोर्ड की बैठकें :**

आलोच्य वर्ष में संचालक मण्डल के मूल्यवान परामर्श एवं मार्गदर्शन से निगम लाभान्वित हुआ है एवं इसके परिणामस्वरुप ही उल्लेखनीय परिणामों की प्राप्ति हुई है।

बोर्ड के निदेशक :-

राज्य सरकार द्वारा आलोच्य वर्ष में निगम के निम्न निदेशक नियुक्त किये गये हैं। श्री राकेश वर्मा, श्री दिनेश कुमार, श्री श्रवण साहनी एवं आलोच्य वर्ष की अवधि में श्री डी.बी.गुप्ता, श्री अजिताभ शर्मा , श्रीआर.के. गोयल कार्य मुक्त हुए हैं।

निगम बोर्ड में निदेशकों के रुप में वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों से प्राप्त मूल्यवान परामर्श एवं मार्ग निर्देशन के लिए हम उनकी हार्दिक प्रशंसा करते हैं।

12. **लेखा परीक्षक :**

वर्ष 2010-11 के लिए लेखों की परीक्षा करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स धूत एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्डेन्ट्स को नियुक्त किया गया है।

13. **आभार :**

आपके निदेशक, आलोच्य वर्ष में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्ण एवं प्रशंसनीय सेवायें प्रदान करने पर उनकी हार्दिक प्रशंसा करते हैं तथा हमें विश्वास है कि इसके सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आगामी वर्षों में भी निगम के कार्य-निष्पादन में और सुधार लाने हेतु निरन्तर कठिन परिश्रम करते रहेंगे। निदेशक मंडल, आलोच्य वर्ष के दौरान निगम को दिये गये सहयोग एवं मूल्यवान सहायता के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/कम्पनी बैंकर/अन्य स्वायत्तशासी निकायों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड की आज्ञा से

स्थान: जयपुर	हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित
दिनांक : 15-09-2011	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

RSBCL

धूत एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स

एफ-3, रमेश मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर -302001
फोन-0141-2222236, 4007133
ई मेल- dhoot_asso@yahoo.co.in

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने राजस्थान स्टेट बैवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के खातों का कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619 (3) (a) के तहत सी एण्ड ए.जी. आफ इण्डिया के दिशानिर्देशों/उप-दिशानिर्देशों के अनुसार दि. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का अंकेक्षण किया है ओर प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सारे दिशानिर्देशों/उप-दिशानिर्देशों की हमने अनुपालना की है।

स्थान : जयपुर
दि. : 15 सितम्बर, 2011

धूत एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स
(एफ आर एन 002145 सी)
हस्ताक्षरित
(दिक्षांत सोगानी)
साझेदार सदस्यता सं. 400831

Scanned with CamScanner

धूत एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स

एफ-3,रमेश मार्ग,
सी-स्कीम,जयपुर -302001
फोन-0141-2222236,4007133
ई मेल- dhoot_asso@yahoo.co.in

निमित्त, राजस्थान स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के सदस्यों हेतु लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड,जयपुर के संलग्न तुलन-पत्र की सम्बन्धित लाभ-हानि लेखों की तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के नकद-प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तदायित्व है। हमारा उत्तरादायित्व लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरण-पत्रों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम अपनी लेखा -परीक्षा के लिए योजना एवं कार्य-निष्पादन यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते है कि वित्तीय विवरण किन्हीं तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हों। एक लेखा -परीक्षा में, परीक्षण आधारित राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य एवं वित्तीय विवरणो का प्रकटीकरण सम्मिलित है। एक लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखा-सिद्धान्तों का निर्धारण एवं प्रबन्धक वर्ग द्वारा किये गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा साथ ही सम्पूर्ण वित्तीय-विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय में एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4 ए) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनीज (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2003(संशोधित) द्वारा अपेक्षित अनुलग्नक 'ए' में,उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 में निहित मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

उपर्युक्त दिये गए अनुलग्नक में दी गई टिप्पणियों के आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने वे समस्त सूचनाऐं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोतम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(बी) हमारी राय में, जहाँ तक पुस्तकों की जाँच से प्रतीत होता है,कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा है।

(सी) इस प्रतिवेदन द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता और नकद-प्रवाह विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(डी) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता व नकद प्रवाह विवरण जो कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत हैं, कम्पनी

Scanned with CamScanner

अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 (सी) में वर्णित लेखांकन-मानकों, जिस सीमा तक लागू होते हैं, की अनुपालना करते हैं।

(ई) हमारी राय में ,प्राप्त सर्वोत्तम सूचना व हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार और इस रिपोर्ट के संलग्न अनुलग्नक 'बी' में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियाँ, जो इस रिपोर्ट की अभिन्न अंग हैं, वे लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा वांछित सूचना अपेक्षित तरीके में देते हैं तथा भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नियमों का सही एवं उचित दृष्टिकोण निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :

(i) तुलन-पत्र मामले में, 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति कम्पनी के कामकाज की स्थिति।

(ii) लाभ-हानि के लेखे में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष में लाभ। और

(iii) नकद-प्रवाह विवरण के मामले में, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद- प्रवाह।

कृते
धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
(एफ आर नं. 002145 सी)
हस्ताक्षरित
(दिक्षांत सोगानी)
साझीदार
सदस्य संख्या 400831

स्थान : एफ-3,रमेश मार्ग,
सी-स्कीम,जयपुर - 302001
दि. 15 सितम्बर, 2011

Scanned with CamScanner

लेखा - परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'
समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट से सम्बन्ध :

1. (ए) कम्पनी ने परिसम्पत्तियों पर ह्रास के अतिरिक्त अपनी परिसम्पत्तियों का परिमाणात्मक ब्यौरा उनकी स्थिति के साथ अपना रिकार्ड सही रूप में रखा है।

   (बी) जैसा हमें बताया गया कि प्रबन्धकों द्वारा आलोच्य वर्ष में अपनी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल से किया गया है। जैसा प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित किया गया है - इस सत्यापन में उन्हें कोई भी अंतर नहीं मिला है।

   (सी) इस वर्ष में स्थिर सम्पत्तियों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग को नहीं बेचा गया है।

2. (ए) हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की चल सम्पत्तियों (स्टॉक) का भौतिक सत्यापन युक्तियुक्त अन्तराल से प्रबन्धन द्वारा किया गया है।

   (बी) हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यापार की प्रकृति को देखते हुए प्रबन्धन द्वारा भौतिक सत्यापन की जो विधि अपनाई गई है, वह युक्तियुक्त एवं पर्याप्त है।

   (सी) हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने स्टॉक के रिकार्ड सॉफ्टवेयर में संधारित किये गये हैं। स्टॉक के भौतिक सत्यापन में भी कोई अंतर नहीं पाया गया है।

3. (ए) कम्पनी ने किसी भी कम्पनी, फर्म या किसी पार्टी को न तो किसी प्रकार का ऋण (सुरक्षित एवं असुरक्षित) दिया है और न ही लिया है जो कि धारा 301 कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर में आता हो।

   (बी) चूँकि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण किसी भी कम्पनी फर्म या पार्टी से नहीं लिया या दिया है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के रजिस्टर में आता हो, इसलिए धारा 4 (iii) (b) से (g) तक लागू नहीं है।

4. हमारे अभिमत के अनुसार और जो विवरण एवं स्पष्टीकरण हमें दिया गया है, के अनुसार कम्पनी के आकार एवं इन्वेन्ट्री तथा चल/अचल सम्पत्तियों की खरीद हेतु व्यापार की प्रकृति, माल की बिक्री और सेवाओं को देखते हुए, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था काफी सुदृढ़ है। हमारे अंकेक्षण के दौरान, आन्तरिक नियंत्रण में बड़ी कमजोरियों को दूर करने में कोई लगातार असफलता दृष्टिगत नहीं हुई।

5. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत कम्पनी का कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं है। चूँकि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत आने वाले रजिस्टर में कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं पाया गया, इसलिए बिन्दु 5 (b) लागू नहीं है।

6. कम्पनी ने पब्लिक से कोई जमा प्राप्त नहीं की है, फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश और कम्पनी अधिनियम 1956

Scanned with CamScanner

की धारा 58 A, 58 AA या कम्पनी अधिनियम 1956 के सम्बद्ध अन्य प्रावधान या अन्य कोई नियम लागू नहीं होते है।

7. हमारे विचार में कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के आधार पर इसमें आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति लागू है।

8. केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (i) (डी) के अन्तर्गत लागत लेखों का विवरण रखने के लिए प्रावधित नहीं किया गया है।

9. (ए) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा लेखा किताबों के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि कम्पनी में राज्य सरकार के दूसरे संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सारे वैधानिक भुगतान जैसे भविष्य निधि,कर्मचारी राज्य बीमा आदि उनके पैतृक संगठनों में जमा करवा दिये गये हैं। कम्पनी आमतौर पर गैर-विवादित वैधानिक सरकारी बकाया जैसे इन्कम टैक्स,सेल्स टैक्स,वैल्थ टैक्स,सर्विस टैक्स,एक्साइज ड्यूटी,सैस और अन्य वैधानिक भुगतान, जिस सीमा तक लागू होने हो,समय पर नियत सरकारी महकमें में नियमित जमा करवाती रही है। देय दिनांक से 6 महिने से अधिक समय की उक्त प्रकार की किसी भी गैर-विवादित राशि का भुगतान 31 मार्च, 2011 को बकाया नहीं था।

(बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सेल्स टैक्स,इन्कम टैक्स,कस्टम ड्यूटी,वैल्थ टैक्स,एक्साइज ड्यूटी तथा सैस आदि का कोई भी भुगतान किसी विवाद के कारण बकाया नहीं है, सिवाय फरवरी 2005 से अगस्त 2007 तक का विवादित सर्विस टैक्स रु. 5,21,25,843/- आयुक्त,केन्द्रीय आबकारी विभाग जयपुर के 'कारण बताओ नोटिस' के कारण बकाया हैं और राजस्थान राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2006 से 2010 की परमिट फीस व वैण्ड़ फीस विलम्ब से जमा कराने के कारण माँगे गए ब्याज के रु.3,75,61,670/- बकाया हैं। आय कर विभाग ने कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 के रु.5,33,41,990/- वर्ष 2007-08 के रु. 6,70,20,550/- तथा वर्ष 2008-09 के रु. 9,19,86,159/- प्रिविलेज फीस की राशि अस्वीकार्य करने के कारण बकाया की माँग की हैं। कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 की आय-कर विवरणी देरी से पेश करने के कारण रु.1,00,000/- का आर्थिक दण्ड भी लगा रखा है। कार्पोरेशन ने रु.1.00 करोड की राशि कर-निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 के पेटे जमा करा दिए हैं। उक्त मामले सम्बन्धित अधिकारियों के पास विचाराधीन हैं।

10. कम्पनी को 31 मार्च 2011 तक कोई संचित-हानि नहीं है। हमारे द्वारा अंकेक्षित वित्तीय वर्ष में कम्पनी को कोई नकद हानि नहीं उठानी पड़ी तथा ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि नही उठानी पड़ी है।

11. कम्पनी वित्तीय संस्थाओं,बैंक या ऋण-पत्र धारकों के पुनर्भुगतान में कहीं भी दोषी नहीं पाई गई है।

12. कम्पनी ने शेयर्स,डिबैन्चर्स या अन्य प्रतिभूतियों की जमानतों के पेटे कोई भी ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।

13. कम्पनी कोई चिट फण्ड/निधि/म्यूच्युअल बेनीफिट फण्ड/ सोसायटी नहीं है,इसलिए कम्पनी (लेखा परीक्षकों का

Scanned with CamScanner

प्रतिवेदन) आदेश 2003 के अनुच्छेद 4 (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते है।

14. कम्पनी शेयर, प्रतिभूति,ऋण-पत्रों या अन्य विनियोग का लेनदेन तथा व्यापार नहीं करती है।

15. कम्पनी ने किसी दूसरे के द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की कोई जमानत नहीं दी है।

16. कम्पनी ने अंकेक्षण वर्ष में कोई सावधि-ऋण नहीं लिया है।

17. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण और कम्पनी के तुलन-पत्र के सम्पूर्ण परीक्षण के आधार पर लेख है कि लघु अवधि के लिए उठाई गई किसी निधि का लम्बे समय के लिए निवेश नहीं किया गया है।

18. कम्पनी ने पार्टियो या कम्पनियों को शेयरों का कोई भी अधिमान्य निर्गमन नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत तैयार किये गए रजिस्टर में सम्मिलित हो।

19. इस वर्ष में कम्पनी ने कोई ऋण-पत्र निर्गमित नहीं किये और न ही कोई शेष है। अतः कोई भी प्रतिभूति या शुल्क सृजित नहीं किया गया है।

20. इस वर्ष में कम्पनी के द्वारा जनता से किसी भी निर्गमन द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है।

21. हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आलोच्य वर्ष के अंकेक्षण काल में कोई भी जालसाजी न तो दृष्टिगत हुई और न ही ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है।

कृते
धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
(FRN 002145C)
हस्ताक्षरित
(दिक्षांत सोगानी)
साझीदार
सदस्य संख्या 400831

स्थान : एफ-3,रमेश मार्ग,
सी-स्कीम,जयपुर - 302001
दि. 15 सितम्बर, 2011

Scanned with CamScanner

लेखा - परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'
समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट से सम्बद्ध

1. माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज डवलपमेंट एक्ट 2006 में आने वाले एन्टाइटीज का विवरण उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु नहीं कराया गया। अतः माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज डवलपमेंट एक्ट 2006 और कम्पनीज एक्ट 1956 की अनुपालना नहीं हुई।

2. कार्पोरेशन के सॉफ्टवेयर द्वारा विलम्ब-शुल्क से आय (रु.2,84,35,854/-) का परिकलन किया गया है। किन्तु संगणन एवं परिकलन के रिकार्ड हमारे अंकेक्षण के दौरान हमें पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। इसलिए, परिकलन के अंतर के परिणाम आलोच्य वर्ष के लाभों पर प्रभाव , यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

3. निगम द्वारा प्रारम्भिक व अंतिम स्टाक के स्वामित्व से संबंधित एवं क्रय के लेखांकन हेतु अपनाई गई लेखांकन विधि लिकर सोर्सिंग पालिसी (LSP 2010-11) के प्रावधानों के अनुरुप नही है जो कि निगम के क्रिया कलापों को परिभाषित व शासित करता है।

4. वर्ष 2010-11 की लिकर सोर्सिंग पॉलिसी ने एफ.एम.एफ.एल. व आई.एम.एफ.एल./बीयर की बिक्री के स्थाई मार्जिन को क्रमशः 7 % व 2 % की दर से निर्धारित किया है, जिसके अनुसार सकल मार्जिन राशि रु.36,29,24,590/- बनता है जबकि वर्ष 2010-11 के लाभ-हानि खाते में राशि रु.36,26,86,666/- ही दिखाया गया है। इस प्रकार चालू वर्ष 2010-11 में सकल मार्जिन व लाभ राशि रु. 2,37,924/- से कम दिखाया गया है।

5. लाभ-हानि खाते के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय में रु.9,03,205/- का भुगतान मैसर्स डीपी लेबर सप्लायर्स को आउट सोर्स लेबर का भुगतान किया गया है । यह देखा गया है कि सेवाप्रदाता को कार्य सौंपा गया है यद्यपि वह निविदा की शर्तो का पालन नहीं करता है ।

6. वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्ति के रुप में रु. 41,12,513/- तथा रु. 41,03,160/- क्रमशः डाटा सेन्टर तथा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के रुप में पूंजीगत दर्शाये गये। वर्तमान अवधि के लाभ हानि खातो में रु.10,23,058/- डाटा सेन्टर पर ह्रास के रुप में तथा रु. 41,75,993/- आई टी सर्विस व्यय के रुप में चार्ज किये गये ।

   पूंजीगत (केपीटीलाईजेशन) तथा व्यय से संबंधित अभिलेख हमें प्रमाणिकरण हेतु उपलब्ध नही कराये गये है । यह देखा गया है कि निगम तथा आबकारी विभाग के मध्य सम्पतियों के स्वामित्व अधिकार के अनुबन्ध की शर्तें एवं नियमों में भिन्नताऐं है । यह भी देखा गया है कि सेवा प्रदाता कम्पनी निर्धारित कार्य की कुछ योग्यताओ को पूरा नही करती है । अतः उपरोक्त तथ्यों का वर्तमान वर्ष के तुलन पत्र व लाभ हानि खातों पर असर सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं।

Scanned with CamScanner

7. वर्ष के दौरान मैसर्स ट्राइमैक्स आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि. को इन्टिग्रेटेड मैनेज्ड आई.टी. सेवा के लिये रु 8.21 करोड़ का कार्य दिया गया । कम्पनी से किये गये अनुबन्ध में यह एक शर्त थी कि कायदिश जारी होने से 180 दिन के अन्दर सम्भावित प्रोजेक्ट को पूरा करना है तथा अनुबन्ध की शर्तो का उलंघन करने पर कायदिश रद्द करना,जमा प्रतिभूती राशि जब्त करना, सेवा प्रदाता कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करना आदि एक्शन लिये जावेगें । जैसा कि हमें बताया गया कि सेवा प्रदाता ने निर्धारित सेवा एवं शर्तो का पालन नही किया है । निगम ने अनुबन्ध के अनुसार एक्शन नही लिया है। अतः प्रतिभूति राशि जब्त ना करने के कारण वर्तमान दायित्व बढ़ गया है और वर्तमान वर्ष के लिये लाभ रु. 41,05,000/- कम दिखाया गया है ।

कृते
धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
(FRN 002145C)
हस्ताक्षरित
(दिक्षांत सोगानी)
साझीदार
सदस्य संख्या 400831

स्थान : एफ-3,रमेश मार्ग,
सी-स्कीम,जयपुर - 302001
दि.:15 सितम्बर,2011

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2011 को यथास्थिति तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

विवरण	अनुसूची	31.3.2011 (रुपयों में)		31.3.2010 (रुपयों में)	
निधियों के स्त्रोत					
1 अंशधारकों की निधियाँ					
(क) पूँजी	ए	20000000		20000000	
(ख) संचय व अधिशेष	बी	45196527	65196527	12878686	32878686
2 ऋण निधियाँ					
(क) प्रत्याभूत ऋण					
(ख) अप्रत्याभूत ऋण			558433		188259
3 आस्थगित कर देयता			65754960		33066945
योग					
निधियों का प्रयोग					
1 स्थिर आस्तियाँ	सी				
(क) सकल समूह		23748726		14267397	
(ख) घटाइए:ह्रास		12389514		9518820	
(ग) शुद्ध समूह			11359212		4748577
2 निवेश			3000		3000
3 चालू आस्तियाँ,ऋण एवं अग्रिम					
(क) स्टॉक	डी	1132712686		1326878625	
(ख) विविध देनदार	डी	864667		2937373	
(ग) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष	डी	1544125830		1073693947	
(घ) ऋण एवं अग्रिम	ई	58907227		51235748	
घटाइए:		2736610410		2454745693	
चालू देयतायें एवं प्रावधान					
(क) चालू देयता	एफ	2660607298		2418194443	
(ख) प्रावधान		21610364		8529098	
		2682217662	54392748	**2426723541**	28022152
शुद्ध चालू आस्तियाँ					
4 (अ) विविध व्यय					
(अपलिखित या समायोजित					
नहीं किए जाने की सीमा तक)	जी		0		293216
योग			**65754960**		**33066945**
लेखा पर टिप्पणियाँ	एल				

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

ह.
(दिक्षांत सोगानी)
साझीदार
सदस्य संख्या 400831

ह.
(सर्वेश तिवारी)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
(आर. के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.
(श्रवण साहनी)
कार्यकारी निदेशक

ह.
(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 15.9.2011

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि खाता

	विवरण	अनुसूची	31.3.2011 (रुपयों में)	31.3.2010 (रुपयों में)
1	आय			
	(अ) बिक्री		18422892326	15694752522
2	बिक्री की लागत	एच	18060205660	15387047138
	सकल लाभ		362686666	307705384
	अन्य आय			
	(अ) बैंक के जमाओं पर ब्याज		70964227	32695252
	(ब) विविध प्राप्तियाँ		10657630	4369486
	(ग) डेमरेज शुल्क		28435854	38278932
	योग		472744377	383049054
	व्यय			
3	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	आई	99142063	100024164
4	प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	जे	903822	1450294
5	वित्तीय व्यय	के	1377	224269
6	ह्रास	सी	2854065	1695763
7	प्रीविलेज फीस-राजस्थान सरकार को		290000000	240000000
8	लाइसेन्स फीस-राजस्थान सरकार को		22390000	21880000
9	विविध खर्चे,अपलिखित की गयी राशि		293216	562135
10	संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान		2944022	-
11	आयकर		7997	-
	योग		418536562	365836625
10	वर्ष का लाभ		54207815	17212429
11	गत वर्ष के समायोजन		-90564	1145250
12	गत वर्ष के समायोजन के पश्चात् लाभ		54298379	16067179
13	घटाइये कर का प्रावधान			
	(ए) चालू कर		19285864	5900000
	(बी) आस्तगित कर		370174	-129166
	(सी) फ्रिंज लाभ कर		0	0
14	कराधान के पश्चात लाभ		34642341	10296345
15	प्रस्तावित लाभांशो के लिये प्रावधान		2000000	2000000
16	लाभांश कर के लिये प्रावधान'		324500	339900
17	शेष का सामान्य संचय में अंतरण		32317841	7956445
18	प्रति शेयर आय (100 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य)		173.21	51.48
19	लेखों पर टिप्पणियाँ	एल		

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
(दिक्षांत सोगानी)	(सर्वेश तिवारी)	(आर. के. सिंघल)	(श्रवण साहनी)	(दिनेश कुमार)
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

सदस्य संख्या 400831

स्थान : जयपुर
दिनांक : 15.9.2011

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'ए'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

अंश पूजी

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)	31.3.2010 (रुपयों में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
500000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/-रूपये के	50000000	50000000
निर्गमित,अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
200000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/-रूपये के पूर्णदत्त	20000000	20000000
योग	20000000	20000000

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'बी'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

संचय एवं आधिक्य

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)	31.3.2010 (रुपयों में)
(अ) पूंजीगत संचय		
अनुदान	137500	137500
(ब) सामान्य संचय		
गत तुलन पत्र के अनुसार शेष	12741186	4784741
जोडें: लाभ-हानि लेखे से हस्तांतरित	32317841	7956445
योग	45196527	12878686

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'सी'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

स्थायी सम्पत्तियाँ

विवरण	सकल समूह				हास/परिशोधन					शुद्ध समूह	
	1 अप्रेल,2010 को यथोस्थिति	अभिवृद्धि	कटौती	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2010 तक	चालू वर्ष के लिए	कटौती (गत वर्ष से सम्बन्धित)	इस वर्ष की कटौती	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2010 को यथास्थिति
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. कार्यालय उपकरण											
(अ) टेलीफोन उपकरण	29740	-	-	29740	18932	1503	-	-	20435	9305	10808
(ब) मोबाईल उपकरण	209735	27000	-	236735	96069	18980	-	-	115049	121686	113666
(स) फोटोकॉपी मशीन	130639	-	-	130639	44271	15633	-	-	59904	70735	86368
(द) फैक्स मशीन	33228	-	-	33228	14622	2588	-	-	17210	16018	18606
(द) आर.ए.एस.का संस्थापन	95000	-	-	95000	87263	3095	-	-	90358	4642	7737
(र) यूपीएस(बैटरियाँ)	638129	158962	-	797091	387349	125061	-	-	512410	284681	250780
2. कम्प्यूटर उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) सॉफ्टवेयर का संस्थापन	710333	18900	-	729233	655569	22133	-	-	677702	51531	54764
(ब) सर्वर का संस्थापन		254000	-	254000	-	101043	1392	-	102435	151565	-
(स) कम्प्यूटर	3133118	-	-	3133118	2694603	175406	-	-	2870009	263109	438515
(द) लैपटोप	525076	-	-	525076	384608	56187	-	-	440795	84281	140468
3. फर्नीचर एण्ड फिक्सचर	3492313	350133	-	3842446	2075474	596411	5392	-	2677277	1165169	1416839
4. कम्प्यूटर ऐसेसरीज	636674	454153	-	1090827	477655	282736	9845	-	770236	320591	159019
5. डी.जी.सेट	850684	-	-	850684	312466	74866	-	-	387332	463352	538218
6. विद्युत उपकरण	589715	2508	-	592223	311121	52934	-	-	364055	228168	278594
7. अग्नि सुरक्षा उपकरण	599991	-	-	599991	231097	66770	-	-	297867	302124	368894
8. हैण्ड प्लेट ट्रक	47960	-	-	47960	23560	4416	-	-	27976	19984	24400
9. ब्राडबैण्ड का संस्थापन	50119	-	-	50119	43303	2726	-	-	46029	4090	6816
10. कार	638461	-	-	638461	282197	92237	-	-	374434	264027	356264
11. कार्यालय साज सामान	249577	-	-	249577	127271	22137	-	-	149408	100169	122306
12. एयर कन्डीशनर्स	273687	-	-	273687	145554	23192	-	-	168746	104941	128133
13. वी.सेट	1333218	-	-	1333218	1105836	90953	-	-	1196789	136429	227382
14. डाटा सेन्टर	-	4112513	-	4112513	-	1023058	-	-	1023058	3089455	-
15. कैपीटल वर्क इन प्रोग्रेस	-	4103160	-	4103160	-		-	-	-	4103160	-
योग	**14267397**	**9481329**	**-**	**23748726**	**9518820**	**2854065**	**16629**	**-**	**12389514**	**11359212**	**4748577**
गत वर्ष	**13703367**	**564030**	**-**	**14267397**	**7823057**	**1695763**	**-**	**-**	**9518820**	**4748577**	

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'डी'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

चालू आस्तियाँ

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)		31.3.2010 (रुपयों में)	
(अ) स्टॉक (जैसा कि प्रबन्धन द्वारा लिया, आँका और प्रमाणित किया		**1132712686**		**1326878625**
(ब) विविध देनदार (थोक व फुटकर विक्रेताओं से प्राप्ति योग्य असुरक्षित एवं अच्छी रकम)				
आपूर्तिकर्ताओ से प्राप्तियाँ	2045768			
घटाये : संदिग्ध प्राप्तियों हेतु प्रावधान	1181101	**864667**		**2937373**
खुदरा विक्रेताओ से प्राप्तियाँ	1762921			
घटाये : संदिग्ध प्राप्तियों हेतु प्रावधान	1762921	0		0
(स) नकद एवं बैंक अधिशेष				
रोकड़ हस्तस्थ	7793		8146	
पी.डी.खाता	10000000		10000000	
बैंक ऑफ इण्डिया में सावधि जमा	372008627		225313593	
यूको बैंक में सावधि जमा	405771387		294433791	
यूको बैंक प्रधान कार्यालय खाता	405410		338709	
एस बी बी जे, तिलक मार्ग जयपुर	115257		182161	
पंजाब नेशनल बैंक में सावधि जमा	715425000		510701326	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,जालौर	13160096		7122183	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जालौर मे सावधि जमा	25000000		25000000	
पंजाब नेशनल बैंक कॉरपोरेट खाता	386117		404316	
बैंक ऑफ इण्डिया प्रधान कार्यालय खाता	1831143		174722	
		1544110830		**1073678947**
यूको बैंक डिपो खाता				
श्री गंगानगर डिपो	15000		15000	
		15000		**15000**
योग (स)		**1544125830**		**1073693947**

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'ई'

31 मार्च 2011 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग

ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)		31.3.2010 (रुपयों में)	
अग्रिम नकद या किस्म या मूल्य या बकाया समायोजन के रूप में वसूलन योग्य अच्छी रकम				
स्टॉफ को अग्रिम	24,346		28,002	
अन्य को अग्रिम	3,84,502		4,97,647	
प्रतिभूति जमा	12,686	4,21,534	12,686	5,38,335
(ब) डिपो मैनेजरों के पास पेशगी	2,62,793	2,62,793	3,17,398	3,17,398
पूर्वप्रदत्त कर				
अग्रिम आय कर	26,38,898		48,00,000	
आयकर 2006-07	50,00,000		50,00,000	
आयकर 2007-08	25,00,000		25,00,000	
आयकर 2008-09	25,00,000			
आयकर 2009-10	3,21,546		3,21,546	
अग्रिम आय कर(2010-11)	52,73,000			
आयकर (टी.सी.एस.)	16,420			
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	4,39,324		8,74,850	
सावधि जमा के ब्याज पर स्त्रोत कर कटौती	1,39,54,108		1,09,13,881	
पूर्वदत्त खर्चे	2,55,35,816	5,81,79,112	2,59,25,950	5,03,36,227
अन्य चालू आस्तियाँ				
राजस्थान बिक्री कर	43,788	43,788	43,788	43,788
योग		5,89,07,227		5,12,35,748

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'एफ'

31 मार्च 2011 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग

चालू देयताये एवं आयोजन

विवरण		31.3.2011 (रुपयों में)		31.3.2010 (रुपयों में)	
अ.	**चालू देयताऐं**				
	विविध लेनदार-पुराने थोक विक्रेता	1326540		1326540	
	विविध लेनदार-सप्लायर्स/डिस्टलरीज	1693747596		1943804319	
	सप्लायर्स को भुगतान योग्य वैट	12164151		12164151	
	व्यय के लिये दायित्व	15297203		4353667	
	विविध देनदार-जिनका क्रेडिट शेष है	3544386		12387355	
	खुदरा विक्रेताओं से अग्रिम	443706659		17654576	
	सेवा प्रदाताओं अथवा सप्लायर्स	15878978		10638103	
	की जमा प्रतिभूतियाँ				
	संस्थापन व्यय	7720295	**2193385808**	9410578	**2011739289**
ब	**बैंक ओवर ड्राप्ट**				
	पंजाब नैशनल बैंक	10459619		7667918	
	यूको बैंक अजमेर डिपो	50000	**10509619**	50000	**7717918**
स	**वैधानिक दायित्व**				
	वैन्ड फीस	852395		1393530	
	देय टी डी एस	1795748		909363	
	देय टी सी एस	17821694		14068051	
	देय टी सी एस पर अधिकर	3030		-	
	शुद्ध वैट भुगतान योग्य	433928101		100105661	
	देय वैट सप्लायर्स का हिस्सा	-		263288853	
	परमिट फीस	2310903	**456711871**	18971778	**398737236**
			2660607298		**2418194443**
द.	**प्रावधान**				
	आयकर हेतु प्रावधान	19285864		6189198	
	लाभांश एवं लाभांश वितरण कर हेतु प्रावधान	2324500	**21610364**	2339900	8529098
	योग		**2682217662**		**2426723541**

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'जी'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग
विविध व्यय,अपलिखित या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक

विवरण		31.3.2011 (रुपयों में)		31.3.2010 (रुपयों में)	
1.	भवन की मरम्मत के लिये आस्थगित राजस्व व्यव				
	प्रारम्भिक शेष	293216		855351	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/कमी	0		0	
	घटाइए: इस वर्ष में अपलिखित किए गए	293216	0	562135	293216
	योग		0		293216

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'एच'

31 मार्च 2011 को समान लाभ एवं हानि खाते का भाग

बिक्री की लागत

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)			31.3.2010 (रुपयों में)		
प्रारम्भिक स्टॉक		1326878625			1277482226	-
जोड़िये : क्रय (प्रारम्भिक)						
क्रय - अंतर्राज्यीय	601295527			311123525		
क्रय- राज्य में	17300720842	17902016369		15186355796	15497479321	
			19228894994			16774961547
घटाए : (ए) गोदाम पर क्षति (बीयर)	3124698			4492193		
गोदाम पर क्षति (आई.एम.एफ. एल.)	1918591			3184494		
ड्रेनआउट (बीयर)	457555			8349805		
ड्रेनआउट (आई.एम.एफ.एल.)	15328349			4733446		
गंतव्य तक जाने में क्षति	-			39878031		
गंतव्य तक जाने में क्षति (अंतर्राज्यीय)	-			397815	61035784	-
खरीद खाता(दर परिवर्तन हेतु)	2252478					
प्रारम्भिक स्टाक में वृद्धि	-9332					
डिस्ट्रीलरी को माल वापसी	11865504					
अन्तर डिपो अन्तरण क्षति व कमी	1038805	35976648				
घटाए : (बी) अंतिम स्टाक		1132712686	1168689334		1326878625	1387914409
योग			**18060205660**			**15387047138**

(अंतिम स्टॉक जैसा कि प्रबन्धन ने लिया,आँका व प्रमाणित किया)

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'आई'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)	31.3.2010 (रुपयों में)
संस्थापन व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	45978672	44744367
मानदेय	66000	18000
यात्रा व्यय	185257	131843
लेखांकन सेवा व्यय	1387068	1212420
चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण	696525	1009756
सुरक्षा पर व्यय	11162796	10407565
आई टी सेवाओं पर व्यय	4175993	4167072
संविदा कार्मिकों/वाहन चालको के भुगतान पर व्यय	1471399	1366152
पेंशन अंशदान	2958272	5255791
सामान्य व्यय		
किराया	18408335	17144240
पुस्तकें एवं पत्रिकायें	13964	13560
कम्प्यूटर में उपयोग की सामग्री	1015802	761024
मनोरंजन व्यय	127649	122180
बिजली एवं पानी व्यय	993662	955455
प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी व्यय	529350	783954
पोस्टेज एवं कोरियर पर व्यय	107813	101865
टेलीफोन व्यय	1839263	2505137
प्लांटेशन व नर्सरी व्यय	0	1200000
वी-सेट व्यय	388700	228968
कार्यालय व्यय	908035	490361
वैधानिक अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	99270	82725
वैधानिक अंकेक्षकों का यात्रा व्यय	15460	31310
बिक्री कर व्यय	0	6257
टैक्स अंकेक्षण फीस	22060	22060
आन्तरिक अंकेक्षण फीस	926599	1198677
विज्ञापन एवं प्रचार - प्रसार	627273	1704729
व्यवसायिक एवं विधिक शुल्क	373525	192970
डिपो पर स्टॉक का बीमा	3568167	3086253
विविध शेष का अपलेखन	0	5851
वाहनो का बीमा	23578	15356
रखरखाव व्यय		
वाहन रखरखाव के व्यय	887077	756753
कार्यालय साज-सज्जा रख रखाव व्यय	184499	301513
योग	99142063	100024164

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'जे'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)		31.3.2010 (रुपयों में)	
अ. पूर्णकालिक निदेशक(कार्यकारी निदेशक)				
वेतन एवं भत्ते	664968		966197	
यात्रा व्यय	0		11116	
पेंशन अंशदान	68673	733641	193000	1170313
ब. अन्य निदेशक				
अध्यक्ष को मानदेय	18000		18000	
यात्रा व्यय	152181		261981	
अन्य पुनर्भरण	0	170181	0	279981
योग		903822		1450294

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'के'

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग

वित्तीय व्यय

विवरण	31.3.2011 (रुपयों में)	31.3.2010 (रुपयों में)
1. ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	0	20909
2. बैंक शुल्क	1377	203360
योग	1377	224269

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'एल'

31.3.2011 को वर्ष समाप्ति पर तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाते पर टिप्पणियाँ

लेखा एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियाँ

ए. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

1. **वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार**

   (i) वित्तीय विवरण अर्जित आधार और एतिहासिक लागत की परम्परा और भारत में मान्य सामान्य लेखा-सिद्धांतों, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों, लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) और इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) के लेखांकन स्तरों की अनिवार्यता, सिवाय जहाँ कहीं अन्यथा कहा गया हो, के अनुसार तैयार किये गए हैं।

2. **लेखांकन पद्धतिः**

   (i) **आय स्वीकृति :**

   (a) **बिक्री :** बिक्री बीजक एवं माल की रवानगी राज्य के विभिन्न डिपो से सोफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। तत्पश्चात बिक्री की रिपोर्ट के आधार पर, जो उपरोक्त प्रकार जनित है, अकाउण्टिंग सॉफ्टवेयर में प्रत्येक डिपो के लिए एक मासिक प्रविष्टि बुक कर ली जाती है। एक डिपो से दूसरे डिपो में स्थानान्तरण एवं लागू होने योग्य वैट (VAT) को बिक्री नहीं माना जाता है।

   (b) **स्थाई जमा पर ब्याजः** बैंक में स्थाई जमाओं से प्राप्त होने वाले ब्याज की अर्जित पद्धति से गणना की जाती है।

   (c) **विविध प्राप्तियाँ, डेमरेज और ड्रेन अथवा लौटाए गए माल पर मार्जिनः** माल की आपूर्ति का आर्डर (OFS) विस्तार, बाहरी आदेश स्थानान्तरण (Too), देरी से प्राप्ति पर प्रभार (LIC) डेमरेज और ड्रेन अथवा लौटाए गए माल पर मार्जिन लिकर सोर्सिंग पॉलिसी व करार, जो आपूर्तिकर्त्ताओं / उत्पादकों द्वारा अर्जित पर निष्पादित किये जाते हैं, को लेखांकित / प्राप्ति / वसूली में दिखाए जाते हैं।

   (ii) **स्टॉक :** स्टॉक की राशि लागत अथवा वैट राशि घटा कर वसूली योग्य कीमत, इनमें से जो कम हो, पर आँकी जाती है। स्टॉक का मूल्य 'पहले आवे-पहले जावे' (FIFO) तरीके के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

3. **लेखांकन नीति में परिवर्तन :** वर्ष 2009-10 के दौरान क्रय व स्टॉक के लेखांकन की नीति में परिवर्तन किया गया है। वर्ष 2008-09 तक क्रय को सम्बंधित वास्तविक बिक्री के आधार पर दर्शाया जाता था तथा स्टॉक हस्ते लेखा पुस्तकों में नहीं लिखे जाते थे। वर्ष 2009-10 से क्रय को, जब माल प्राप्त कर लिया जाता है, तब दर्शाया जाता है तथा स्टॉक हस्ते कीमत का भी लेखांकन कर लिया जाता है, वर्ष 2010-11 में भी यही पद्धति अपनाई गई ।

4. **स्थाई सम्पत्तियाँ एवं ह्रास :**

   (a) **स्थाई सम्पत्तियाँ :-** स्थाई सम्पत्तियों का सकल ब्लॉक का मूल्य, अभिग्रहण की कीमत व सम्पत्तियों के वास्तविक उपयोग की स्थिति लाने तक के अन्य खर्चों सहित, पर बताया जाता है। इस प्रकार शुद्ध ब्लाक का मूल्य, सकल ब्लॉक के मूल्य में से संचित ह्रासकी राशि घटाने के बाद शेष राशि पर दिखाया जाता है।

   (b) **ह्रास :-** स्थाई सम्पत्तियों पर ह्रास की गणना कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में दी गई दरों पर घटते हुए बैलेंस पद्धति (W.D.V. Method) के अनुसार की जाती है। अतिरिक्त खरीदी गई सम्पत्तियों पर ह्रास इनकी खरीद की तिथि से गणना करते हुए लगाया जाता है। जिन सम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य रु. 5000/- से अधिक नहीं होता है, उन पर 100% ह्रास क्रय किये गए वर्ष में ही लगा दिया जाता है।

Scanned with CamScanner

5. **कार्मिक :**

कार्पोरेशन में कार्मिक राज्य सरकार / राज्य सरकार के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं। इन कार्मिकों से सम्बन्धित पेंशन अंशदान, भविष्य-निधि, ग्रेच्यूटी, राज्य बीमा अंशदान व अन्य अंशदान का भुगतान निगम ने सम्बन्धित विभागों व उनके पैतृक संगठन को किया है।

6. **सेवा निवृति लाभ :**

निगम की नीति के अनुसार सभी कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिन्हें निगम द्वारा नियोजित नहीं किया गया है, उनके सेवानिवृति से सम्बन्धित कोई दायित्व निगम के नहीं होंगे। किन्तु राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों का निर्धारित पेंशन अंशदान राज्य सरकार के निर्देशानुसार निदेशक पेंशन को भेजा जाता है।

7. **कराधान :**

(a) आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों को, यदि कोई हों, ध्यान मे रखते हुए ही चालू कर-देय राशि का प्रावधान किया जाता है।

(b) आस्थगित कराधान : कर दरें और कानूनों का उपयोग करते हुए व आय-कर लाभों के समय के अंतरों (Timing differences) के कारण आस्थगित कर तुलन-पत्र की तिथि को अधिनियमित अथवा मूलरूप से अधिनियमित किये गए हैं। आस्थगित कर सम्पत्ति का निधरिण तभी किया जाता है जब उसकी वसूली की समुचित निश्चितता हो।

8. **आस्थगित राजस्व व्यय :**

भवन नवीनीकरण व्यय आस्थगित राजस्व व्यय स्वीकार किये तथा इसके होने के वर्ष के साथ पाँच वर्षों में समान रूप से अपलिखित किये जाने हैं।

9. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ :**

(a) कम्पनी द्वारा वर्तमान प्रावधानों को जब ही मान्यता दी जाती है जब कि गत तय निपटानों के फलस्वरूप यह सम्भावना हो कि निपटान करने हेतु संसाधनों के निकास की आवश्यकता होगी तथा बाध्यता राशि के लिए एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(b) आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, परन्तु उन्हें लेखा की टिप्पणियों में दिखाया जाता है। आय-कर व बिक्री / वैट कर आदि की विवादास्पद माँगों को आकस्मिक देयताऐं दिखाई जाती हैं। इन माँगों के भुगतान, यदि कोई हों, एडवांस के रूप में दिखाया जाता है जब तक कि इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया गया हो।

(c) आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही इन्हें वित्तीय विवरणों में दिखाया जाता है।

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

लेखा पर टिप्पणियाँ

1. **कार्य विधि :**
राजस्थान स्टेट बेवेरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSBCL) की स्थापना एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखने हेतु की गई थी। यह निगम राजस्थान राज्य में राजस्थान एक्साइज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विशेष सुविधा का उपयोग करता है, जिसके अंतर्गत निगम को राजस्थान राज्य में शराब के थोक व्यापार का एक मात्र विशेष अधिकार है। इस कार्य हेतु एक्साइज एक्ट के अनुसार इसे राजस्थान सरकार को 'प्रिविलेज फीस' का भी भुगतान करना पड़ता है। निगम की कार्यविधि लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) द्वारा वर्ष दर वर्ष बनाये जाने वाले नियमों से संचालित होती है। चालू वर्ष 2010-11 के लिए एल.एस.पी. की नीति परिपत्र सं. RSBCL/LSP/2010-11/7351 दिनांक 29.3.2010 में वर्णित है।

2. **शराब की प्राप्ति एवं विक्रय की विधि :**
उत्पादक/ आपूर्तिकर्ता सम्बन्धित स्थानों की माँग पर आधारित शराब की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव देते हैं। तत्पश्चात, उत्पादक / आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति हेतु एक आदेश (OFS) जारी किया जाता है। आपूर्ति आदेश के तहत निर्माताओं द्वारा प्रेषित माल निगम के गोदामों में रखा जाता है। इस स्टॉक का जोखिम और स्वामित्व निगम द्वारा आपूर्तिकर्ता पर ही डाला जाता है, फिर भी इस स्टॉक का बीमा निगम अपने खर्चे पर कराता है। उत्पादक/आपूर्तिकर्ता निगम को आपूर्ति किये गए माल की माँग पैदा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। उत्पादक/आपूर्तिकर्त्ता को माल की आपूर्ति का भुगतान ऐसे स्टॉक की समाप्ति पर ही किया जाता है। एक निश्चित समय की समाप्ति पर बचे हुए माल पर डेमरेज की वसूली अथवा ड्रेन/लौटाए गए माल पर एल.एस.पी. दर पर वसूली की जाती है, जिसकी आय निगम के बहीखातों में दर्शाइ गई है।

3. **लेखांकन विधि :**
राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित डिपो पर आपूर्ति-आदेश (OFS) के तहत माल प्राप्त किया जाता है, उसका लेखांकन सम्बन्धित डिपो के स्थानों पर रास्ते में होने वाली हानियों/कमियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित साफ्टवेयर्स पर किया जाता है। निविष्टि (Imput) पर लागू होने वाला टैक्स क्रैडिट (राजस्थान वैट), यदि कोई हो, तो उसे ऐसी खरीद पर राजस्थान वैट एक्ट 2003 के नियमानुसार उपयोग कर लिया जाता है, और खरीद को, राजस्थान वैट को छोड़ते हुए, लाभ-हानि खाते में सम्मिलित कर लिया जाता है। माल लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) के प्रस्तावित निर्देशों द्वारा वैट बीजकों के तहत बेचा जाता है, और जिसे राजस्थान वैट को छोड़ते हुए लाभ-हानि खाते में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह, बिक्री और खरीद दोनों का लेखांकन कर लिया जाता है और वैट (VAT) को छोड़ते हुए लाभ-हानि खाते में सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसके लिए राजस्थान वैट नियमों के अंतर्गत समायोजन की माँग की जाती है। बिक्री, खरीद व स्टॉक के पृथक पृथक रेकार्ड रखे जाते हैं, और सम्बन्धित गोदामों में लेखांकित किए जाते हैं, यद्यपि वित्तीय लेखांकन और रेकार्ड जयपुर के प्रधान कार्यालय पर रखे जाते हैं। वर्ष के अंत में स्टाक हस्ते का मूल्यांकन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की लेखांकन विधि के विन्दु सं. 2(ii) के अनुसार किया जाता है।

4. **लेखांकन विधि व लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP)**
लेखांकन विधि,माल का मालिकाना हक, आय व व्यय की मान्यता के नियम लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) में वर्णित तरीकों से भिन्न हैं। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है : -

(ए) **क्रय** : गत वर्ष की लेखांकन पद्धति ही इस वर्ष अपनाई गई ।

(सी) **दि.31.3.2011 को स्टॉक हस्ते (रु. 1,13,27,12,686/-)**: गत वित्तीय वर्ष की भांति वर्ष के अंत में स्टॉक हस्ते रु 1,13,27,12,686/- को लेखों में लेखाकित किया गया है, और वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करने में सम्मिलित भी किया गया है।

(डी) **डेमरेज चार्जेज (रु2,84,35,854/-)** : एल.एस.पी.के अनुसार डेमरेज निगम द्वारा वसूल किया गया क्योंकि फुटकर व्यापारियों को स्टॉक की बिक्री का भार आपूर्तिकर्ता/उत्पादक पर है न कि निगम पर। निगम की पुस्तकों मे यद्यपि क्रय का

Scanned with CamScanner

ऐसा स्टॉक है फिर भी माल को देर से छुड़ाने का व्यय प्राप्त किया जाता है। एल.एस.पी. के नियमानुसार देरी से माल छुड़ाने खर्चे के अंतर्गत आता है।

5. **आकस्मिक देयता की व्यवस्था नहीं की गई :**

(ए) पूँजी खाते पर निष्पादित करने हेतु अनुबन्धों की अनुमानित राशि रु.170.46 लाख है। (गत वर्ष रु.शून्य)

(बी) दावे स्वीकार नहीं किए गए और प्रावधान नहीं किया गया : एक संवेदक सुश्री अनु गुप्ता द्वारा माँगी गई रु. 8.92 लाख की दावा राशि का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर के पास विचाराधीन है।

(सी) आयुक्त,केन्द्रीय आबकारी विभाग जयपुर-1 ने कारण बताओ नोटिस जारी कर सर्विस टैक्स कैटेगरी आन्जिल्यिरी सर्विसेज के अंतर्गत अगस्त 2007 तक के सकल मार्जिन पर रु. 5,21,25,843/- की माँग की है। इस आदेश के तहत निगम ने सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की और उक्त मांग के लिए स्टे प्राप्त किया।
सकल मार्जिन पर सेवा-कर(ब्याज राशि को छोड़ते हुए) सितम्बर 2007 से मार्च 2009 तक रु. 5,67,90,707/- व वर्ष 2009-10 के रु.3,16,93,654/- तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 के रु. 3,73,56,727/- का लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए अभी तक विभाग द्वारा कोई माँग नही की गई।

(डी) राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग जयपुर ने परमिट राशि के देरी से भुगतान पर ब्याज व वेन्ड शुल्क के वित्त वर्ष 2006-07(रु.31,79,533/-), वर्ष 2007-08 (रु. 32,89,550/-) वर्ष 2008-09 के लिए (रु.29,84,486/-) तथा वर्ष 2009-10 के लिए (रु. 2,81,08,101/-) के तहत रु.3,75,61,670/- की माँग की है। किन्तु निगम ने इस माँग को निरस्त करने हेतु वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को प्रतिवेदन किया है, जिस पर निर्णय प्रतीक्षा में है।

(ई) आयकर

(i) कर निर्धारण वर्ष 2006-07:-प्रिविलेज फीस व्यय की राशि को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानने हुए एवं इस व्यय को अस्वीकृत करते हुए आय कर विभाग ने कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 के अंतर्गत रु.5,33,41,990/- की माँग की है। किन्तु आय कर आयुक्त (अपील)-II को दायर अपील पर इसका निर्णय निगम के पक्ष में हुआ और रु.5,33,41,990/- की राशि की माँग समाप्त कर दी। इस पर आय कर विभाग ने आई टी.ए.टी जयपुर बैंच 'बी' जयपुर के यहाँ इसकी अपील की। आई .टी..ए.टी. ने आय कर विभाग की इस अपील को खारिज कर दी और निगम के पक्ष में निर्णय किया। निगम ने रु.50.00 लाख सम्बन्धित वर्ष के लिए आयकर विभाग में जमा करा दिये है।

(ii) कर निर्धारण वर्ष 2007-08:-कर निर्धारण वर्ष 2007-08 में प्रिविलेज फीस को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानते हुए व इसे अस्वीकृत करते हुए कर-निर्धारण आथोरिटी ने रु.6,70,20,550/- की माँग की किन्तु आयकर आयुक्त (अपील) को दायर अपील में प्रिविलेज फीस को राजस्व व्यय मानते हुए निगम के पक्ष में फैसला हुआ। निगम तथा आयकर विभाग दोनो ने अलग अलग आधारों पर आई.टी.ए.टी. जयपुर में अपील दायर की है। निगम ने सम्बन्धित वर्ष के लिए रु.25.00 लाख आयकर विभाग में जमा करा दिये है।

(iii) कर निर्धारण वर्ष 2008-09:- पुनः कर निर्धारण वर्ष 2008-09 में प्रिविलेज फीस को पूँजीगत व्यय की प्रकृति का मानने हुए व इसे अस्वीकृत करते हुए कर-निर्धारण आथोरिटी ने रु.9,19,86,159/- की माँग की है। निगम ने आयकर आयुक्त (अपील) को अपील की है। निगम ने सम्बन्धित वर्ष के लिए रु.25.00 लाख आयकर विभाग में जमा करा दिये है।

(iv) कर निर्धारण वर्ष 2006-07 में आयकर रिटर्न देरी से भरने के कारण आयकर विभाग ने रु.100000/- की जुमार्ना राशि लगाई है। आयकर आयुक्त (अपील) को अपील करने पर जुमार्ना राशि माफ कर दी है।

(एफ) तिलम संघ केआठ कार्मिक तथा राजस संघ, शिक्षा, स्पिनफैड, बुनकर संघ तथा पंचायत राज प्रत्येक से एक कार्मिक का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (वेतन नियम 2008) लेखा पुस्तको में उपलब्ध नही कराया गया है। सम्बन्धित विभाग ने इन्हे या तो नई वेतन श्रृंखला नही दी है या नया स्थिरीकरण इनके पैतृक विभाग द्वारा नही किया गया है।

(जी) लेखा पुस्तको में निम्न कोर्ट केसों के दायित्वों को लेखांकित नही किया गया है :-

Scanned with CamScanner

(i) रु.5.53 लाख	श्रीमति सरस्वती देवी ने अपने पति की मृत्यु के मुआवजे के लिए श्रम आयुक्त सवाई माधोपुर के समक्ष निगम के विरुद्ध वाद दायर किया है।
(ii) रु.4.37 लाख	अपनी बकाया राशि निगम से लेने हेतु मैसर्स राहुल बटाला (खुदरा विक्रेता)ने अतिरिक्त सिविल जज,कोटा के समक्ष निगम के विरुद्ध वाद दायर किया है।
(iii) रु.1.02 लाख +12% ब्याज	सवाई माधोपुर डिपो के गोदाम किराये के लिए किया गया दावा जिला जज सवाईमाधोपुर द्वारा श्रीमति मुन्नी देवी के पक्ष में सुनाया गया । निगम ने इसकी अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर की है।

6. (अ) कुडी डिपो, जोधपुर में शराब की मात्रा कम की सूचना प्राप्त हुई जिसकी राशि रु.45516/- है। इस सम्बन्ध में जाँच जारी है जाँच रिर्पोट प्राप्त होने पर लेखा पुस्तकों में लेखांकित की जाएगी।
(ब) वर्ष 2006-07 में सीकर रोड डिपो में रु. 52.86 लाख के सामान की कमी की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रभावी वसुली के पश्चात वर्तमान बकाया रु.48.23 लाख है जिसकी एफ.आई.आर. सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा आई.पी.सी.की दफा 409 के अर्न्तगत चोमूं कोर्ट में चालान पेश किया है। मामला अभी भी अनिर्णित है।
(स) बांसवाडा डिपो में 28.01.11 को रु.1.04 लाख के माल चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी । पुलिस में मामले की प्राथमिकी रिर्पोट दर्ज करा दी गई है तथा मामले की जाँच पडताल जारी है। बकाया दावा सम्बन्धित बीमा को दायर कर दिया गया है।
7. एल.एस.पी. के अनुसार साफ्टवेयर द्वारा डेमरेज से आय की गणना रु.2,84,35,854/- की गई है।
8. बिक्री,खरीद,माल का स्टॉक ,अन्य आय (डेमरेज से आय, निगम का मार्जिन) का लेखा एकाउंटिंग सॉफ्टेवेयर जनित रिपोर्टस के आधार पर लेखा सॉफ्टवेयर (टैली) में किया जाता है। सॉफ्टवेयर व लेखों में जनित रिपोर्ट्स द्वारा सकल मार्जिन में राशि रु.2,37,924/- का (लेखों में कमी) अन्तर पाया गया है।
9. 01.04.2010 को तुलन पत्र के अनुसार स्टाक हस्ते की कीमत 31.03.10 साफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित स्टाक की कीमत से रु.9332/- अधिक है।वर्तमान वर्ष के लाभ हानि खातो में आवश्यक सुधार कर लिया गया है।
10. स्थगित राजस्व व्यय की भवन नवीनीकरण राशि रु.2,93,216/- को इस वर्ष में अपलिखित कर दिया गया है।
11. वर्ष 2010-11 में रु.29.00 करोड की प्रिविलेज फीस की राशि राजस्थान सरकार को चुकाई गई है। लाइसैंस फीस रु. 2,23,90,000/- जिसमें रु. 3,90,000/- प्रार्थना पत्र फीस भी सम्मिलित है, भी वर्ष 2010-11 में राजस्थान सरकार को चुकाए है।
12. वर्ष 2010-11 में डेमरेज चार्जेज की राशि रु. 16,08,392/- राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड सप्लायर्स पर लगाई गई है। परन्तु आपूर्तिकर्ता एक सरकारी कम्पनी होने के कारण निगम के संचालक मंडल ने इसे माफ किया गया है। तद्नुसार निगम की लेखा पुस्तको में बकाया लेखा प्रविष्टिया की गई।
13. रु.29,44,022.35 की सन्दिगध प्राप्तियो का प्रावधान निम्न प्रकार है:-
    (i) वर्ष 2006-07 की खुदरा विक्रेताओ से प्राप्तियां रु.5,02,471.32
    (ii) वर्ष 2007-08 की खुदरा विक्रेताओ से प्राप्तियां रु.4,87,340.70
    (iii) वर्ष 2009-10 का खुदरा विक्रेताओ का बकाया कम्पोजिशन टैक्स रु.7,73,108.75
    (iv) वर्ष 2007-08 के सप्लायर्स से डेमरेज व्यय रु.10,06,987.72
    (v) जब्त माल से डेमरेज चार्जेज रु.1,74,113.86
14. बोर्ड की राय में, चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य, सामान्य व्यापार की स्थिति में कम से कम उस राशि के समान है, जिस पर यह दर्शाए गए हैं।
15. विविध देनदार, विविध लेनदार, ऋण एवं अग्रिम, बैंक शेष मिलान कराने व पुष्टि कराने के अधीन हैं।
16. कम्पनी का मुख्य (व्यवसाय) प्रभाग एकल अर्थात् मदिरा है। अतः इसके बारे में एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड - 17 के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

Scanned with CamScanner

17. दि. 31.3.2011 का स्टॉक हस्ते निगम के प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित मूल्यानुसार लिया गया है। मूल्यांकन इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी (AS-2) के अनुसार किया गया है।

18. आर.एस.बी.सी.एल. तथा आर.एस.जी.एस.एम. ने दिनांक 22.06.10 को आबकारी विभाग राजस्थान सरकार में इन्टीग्रेटेड मैनेज्ड आई.टी. सेवा प्रदान करने हेतु मैसर्स ट्राईमैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड से एक अनुबन्ध किया था। जिसकी लागत आर.एस.बी.सी.एल. तथा आर.एस.जी.एस.एम. द्वारा 80:20 के अनुपात में वहन की जानी थी । वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्त तक कार्य पूर्ण नही किया गया है। अभी तक का व्यय लेखा पुस्तको में निम्न प्रकार लेंखांकित किया गया है -

(i) लाभ हानि खातो में:- रु. 18,34,267/- (आई.टी.सर्विस पर कुल व्यय रु. 41,75,993/-) 5 माह के लिए आपरेटर, प्रोजेक्ट समन्वयक तथा फैसेलिटी प्रबन्धन सेवा प्रदान करने हेतु

(ii) तुलन पत्र में:- (अ) डाटा सेन्टर से सम्बन्धित कार्य जिसने दिनांक 17.08.10 से कार्य प्रारम्भ किया जिसका राशि रु. 41,12,513/- का व्यय (लागत का 80% हिस्सा निगम द्वारा वहन मय सर्विस टैक्स)

(ब) इन्टीग्रेटेड साफ्टवेयर की कीमत जो टी.एस.पी. द्वारा विकास की प्रक्रियाधीन है तथा 31.03.11 तक कार्य हेतु उपलब्ध नही है। रु. 41,03,160/- कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अर्न्तगत श्रेणीबद्ध किये गये है।

19. सम्बन्धित पक्षों के साथ सौदों का प्रकटीकरण इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी एकाउंटिग स्टैण्डर्ड - 18 के अनुसार,जैसा कि लेखांकन स्तर में परिभाषित है, नीचे दिए गए है ;

सम्बन्धित पक्षों की सूची व उनका सम्बन्ध, जिनके साथ व्यवहार किए गए हैं :-

क्र.सं.	सम्बन्धित पक्ष का नाम	सम्बन्ध
1.	श्री सी.के.मैथ्यू	अध्यक्ष
2.	श्री अजिताभ शर्मा	प्रबन्ध निदेशक
3.	श्री आर.के.गोयल	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री श्रवण साहनी	कार्यकारी निदेशक

सम्बन्धित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान किए गए व्यवहार :-

क्र.सं.	सम्बन्धित पक्ष का नाम	व्यवहार की प्रकृति	राशि 2010-11	राशि 2009-10
1.	श्री सी.के.मैथ्यू	मानदेय	18,000	18,000
2.	श्री अजिताभ शर्मा	यात्रा व्यय	1,52,181	2,61,981
3.	श्री आर. के. गोयल	पारिश्रमिक व यात्रा व्यय	7,33,641	11,70,313

20. निगम सम्बन्धित अथॉरिटी को फाइल किए गए ज्ञापन की प्रतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगा हुवा है जो MSMED ACT, 2006 के अंतर्गत अस्तित्व में हैं। निगम ने लिकर सोर्सिंग पालिसी के आधार पर आपूर्तिकर्ता को देय भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से साप्ताहिक भुगतान करने की पद्धति का अनुसरण किया है। सामान्यतः भुगतान एक्ट की निर्धारित अवधि में किया गया है। अतः एक्ट के प्रावधानो का अनुसरण किया गया है।

Scanned with CamScanner

21. संचालको का पारिश्रमिकः

(अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक सहित)

	31.3.2011	31.3.2010
	रु.	रु.
वेतन व भत्ता	6,82,968	9,84,197
पेंशन फण्ड में अंशदान	68,673	1,93,000
यात्रा व्यय	1,52,181	2,73,097
	9,03,822	**14,50,294**

22. अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक :

वैधानिक अंकेक्षण फीस	99,270	82,725
टैक्स अंकेक्षण फीस	22,060	22,060
	1,21,330	**1,04,785**

23. लेखांकन स्टैण्डर्ड 22 आय पर करों का लेखाकन ·

लेखांकन स्टैण्डर्ड - 22 के आधार पर स्थगित कर-देयता/सम्पत्तियाँ निश्चित की गई हैं।

आई.सी.ए.आई द्वारा जारी आय पर करों का लेखांकन और उनका विवरण निम्न प्रकार है : -

(राशि रुपयों में)

विवरण	2010-11	2009-10
मूल्य ह्रास के कारण समयांतर के कारण उत्पन्न स्थगित कर-देयता :		
स्थगित कर देयता	**1,88,259**	**3,17,425**
घटाई -स्थगित कर आस्ति	**0**	**1,29,166**
जोडे-स्थगित कर देयता	**3,70,174**	**0**
शुद्ध स्थगित कर देयता	**5,58,433**	**1,88,259**

24. कम्पनीज एक्ट 1956 की अनुसूची VI के पार्ट -II की कार्यपालनानुसार अतिरिक्त सूचना :

एफ.एम.एफ.एल/आई.एम.एफ.एल व बीयर के क्रय, बिक्री व अंतिम स्टॉक के बारे में परिणामात्मक सूचना (प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित व अंकेक्षकों की विश्वसनीयता के आधार पर):

मूल्य (रु.करोड़ में)

		मात्रा	31.3.2011	मात्रा	31.3.2010
विवरण		बोतलें	राशि	बोतलें	राशि
बिक्री	आई.एम.एफ.एल.	206873435	1169.80	314547954	1569.48
	बीयर	157261961	672.49		
क्रय	आई.एम.एफ.एल	205149805	1137.84	337125527	1677.50
	बीयर	155547712	652.36		
अंतिम स्टॉक	आई.एम.एफ.एल	11666275	84.32	22162110	132.69
	बीयर	6784381	28.95		

Scanned with CamScanner

25. नकद प्रवाह विवरण इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स आफ इण्डिया के AS-3 (पुनरीक्षित) द्वारा निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया गया है।

26. प्रति अंश मूल अर्जन की गणना शुद्ध लाभ/हानि को आलोच्य अवधि में समता अंशधारियों के बकाया समता अंशो के भारित औसत का भाग देकर की गई है। आलोच्य अवधि के समता अंशो का भारित औसत संख्या के बकाया को अंशो की घटना से समायोजित किया है।

27. विदेशी विनिमय में न तो कोई अर्जन हुआ है और न ही व्यय।

28. विविध देनदार अच्छे हैं और वसूली योग्य हैं। विविध देनदारों की बाकी, जो तुलन-पत्र की अनुसूची 'एफ' में दर्शाई गई हैं, वे शुद्ध रुप से रु. 3544386.14 की जमा शेष है।
छः माह से अधिक की विविध देनदारों की बकाया राशि रु.61.21 लाख की है।(गत वर्ष रु.47.70लाख)इनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है : -

(राशि रुपयों में)

वित्त वर्ष	डेबिट शेष रु.	क्रेडिट शेष रु.	शुद्ध शेष रु.
2006-07	5,02,471.32	शून्य	5,02,471.32 डेबिट
2007-08	4,87,340.70	शून्य	4,87,340.70 डेबिट
2008-09	37,70,319.36	54,00,327.17	16,30,007.81 क्रेडिट
2009-10	13,61,354.55	1,31,20,637.65	1,17,59,283.10 क्रेडिट
2010-11	9,13,37,717.04	8,24,82,624.29	88,55,092.75 डेबिट
योग	97459202.97	101003589.11	35,44,386.14 क्रडिट

29. पूर्व अवधि के खर्चों/आय को पृथक शीर्षकों में लेखांकित किया गया है। महत्वपूर्ण मदों को, यदि कोई हों, तो उन्हें पृथक रुप से लेखा की टिप्पणियों में नोट द्वारा प्रकट किया गया है।

30. तुलन-पत्र बनाने के पश्चात की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी ध्यान रखा गया है।

31. आँकड़ों को निकटतम रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

32. गत वर्ष के आँकड़ों को,जहाँ आवश्यक समझा गया, वहाँ पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आँकड़ो से तुलनायोग्य बनाया जा सके।

33. अनुसूचियाँ 'ए' से 'एल' लेखांकन नीतियाँ व लेखा पर टिप्पणियाँ खातों का पूरक भाग है।

निदेशक मण्डल की ओर से

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स

ह.
(दिक्षांत सोगानी)
साझीदार
सदस्य संख्या 400831

ह.
(सर्वेश तिवारी)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
(आर. के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

ह.
(श्रवण साहनी)
कार्यकारी निदेशक

ह.
(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 15.9.2011

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन पत्र सारांश एवं कम्पनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा
(कम्पनी अधिनियम 1956 अनुसूची VI के भाग I V के अनुसरण में)

(i)	पंजीयन का विवरण	17-020336	राज्य कोड	17
	पंजीयन संख्या	31.3.11		
	तुलन पत्र का दिनांक			
(ii)	वर्ष के दौरान पूँजी में वृद्धि (राशि हजार रुपयों में)			
	सार्वजनिक निर्गमन	शून्य	सीधा निर्गमन	शून्य
	बोनस निर्गमन	शून्य	निजी प्लेसमेंट	शून्य
(iii)	निधियों को जुटाने एवं लगाने की स्थिति (राशि हजार रुपयों में)			
	कुल देयतायें	65754.96	कुल सम्पत्तियाँ	65754.96
	निधियों के स्रोत			
	प्रदत्त पूँजी	20000.00	संचय एवं अधिशेष	45196.53
	सुरक्षित ऋण	शून्य	असुरक्षित ऋण	शून्य
			डी.टी.एल	558.43
	निधियों का प्रयोग			
	शुद्ध स्थिर आस्तियाँ	11359.21	निवेश	3
	शुद्ध चालू आस्तियाँ	54392.75	विविध व्यय	शून्य
	संचित हानियाँ	शून्य		
(iv)	कम्पनी का कार्य निष्पादन (राशि हजार रुपयों में)			
	बिक्री (अन्य आय सहित)	18532950.04	कुल व्यय	18478742.22
	कर से पूर्व लाभ	54207.82	कर के बाद लाभ/हानि	34642.34
	प्रति शेयर आय (रूपये में)	173.21 (51.48)	लाभांश दर प्रतिशत	10 (10)
(v)	कम्पनी के प्रमुख तीन उत्पाद/सेवाओं के नाम			
	मद कोड संख्या	शून्य		
	उत्पाद का विवरण	आई.एम.एफ.एल./बीयर		

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
(दिक्षांत सोगानी)	(सर्वेश तिवारी)	(आर. के. सिंघल)	(श्रवण साहनी)	(दिनेश कुमार)
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
सदस्य संख्या 400831				

स्थान : जयपुर
दिनांक : 15.9.2011

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण

(राशि लाखों में)

विवरण	2010-11		2009-10	
1. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
करारोपण से पूर्व लाभ/हानि	542.07		172.12	
(अ) समायोजन के लिए				
ह्रास एवं विविध व्ययों का अपलेखन	31.64		22.58	
ब्याज से आय	(709.64)		-326.95	
पूर्व वर्ष की आय/व्यय	0.90		-11.45	
ब्याज व्यय	0.00		0.21	
स्थाई सम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ	0.00		-	
(ब) कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		-135.03		-143.49
(स) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
व्यापारिक प्राप्तियाँ	20.73		-3.56	
अन्य चालू आस्तियाँ	-23.85		-22.38	
स्टॉक	1941.66		-13,268.79	
अदत्त व्यय	0.0		-21.29	
व्यापारिक व अन्य देयताएँ	2338.71		18,856.42	
		4277.25		5540.40
(द)परिचालन से नकद उपार्जन		-4142.22		5,396.91
(ई)आयकर चुकाने व सीधे कर चुकाने हेतु समायोजन	-52.73		-73.00	
(एफ)परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह		4089.49	-	5,323.91
(2) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
स्थाई सम्पत्तियों का क्रय एवं केपीटल वर्क इन प्रोग्रेस	-94.81		-5.64	
ब्याज प्राप्ति	709.64		326.95	
स्थायी सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्ति	0	614.83	0	321.31
(3) वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह				
दीर्घकालिक उधार से शुद्ध प्राप्ति	0		0	
सरकार से शुद्ध प्राप्ति	0		0	
ब्याज/व्यय	0		-0.21	
सरकारी अनुदान/अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00		-0.21
(4) नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन		4704.32		5,645.01
(5) वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य		10736.94		5,091.93
(6) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		15441.26		10,736.94

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
(दिक्षांत सोगानी)	(सर्वेश तिवारी)	(आर. के. सिंघल)	(श्रवण साहनी)	(दिनेश कुमार)
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

सदस्य संख्या 400831
स्थान : जयपुर
दिनांक : 15.9.2011

Scanned with CamScanner

लेखा -परीक्षक की रिपोर्ट का उत्तर

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	उत्तर
1. (अ) परिसम्पत्तियों पर ह्रास प्रभारित करने के अतिरिक्त कम्पनी ने स्थाई सम्पत्तियों की परिमाणात्मक विवरण व उनकी स्थितियों सहित रिकार्ड समुचित ढंग से रखा है।	नोट किया। ह्रास प्रभारित किया जा रहा है और अलग से समेकित आधार पर तैयार किया गया है और नियत दर पर उसके प्रभाव का हिसाब पुस्तकों में रखा जा रहा है। निगम में वित्तीय वर्ष 2010-11 से ह्रास प्रदर्शित करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर बनाया है।
(ब) जैसा कि हमें सपष्ट किया गया है प्रबन्धन द्वारा स्थाई सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष में उचित समायान्तर पर किया जाता रहा है। प्रबन्धन के प्रमाणित किये जाने के अनुसार सत्यापन में कोई भी भौतिक अंतर दृष्टिगत नहीं हुआ है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(स) इस वित्तीय वर्ष में कार्पोरेशन ने किसी भी स्थाई सम्पत्ति के किसी भी हिस्से का निपटारा नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. (अ) हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के स्टॉक का प्रबन्धन द्वारा उचित अंतराल से भौतिक सत्यापन किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ब) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबन्धन द्वारा किया गया स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने का तरीका कम्पनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत एवं पर्याप्त है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(स) जैसा कि हमें बताया गया है, कार्पोरेशन द्वारा सॉफ्टवेयर पर सारे माल का रिकार्ड रखा हुवा है। माल की सूची के भौतिक सत्यापन के समय कोई अंतर दृष्टिगत नहीं हुआ है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. (अ) कम्पनी ने किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टी को न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण दिया है और न ही लिया है जो कि कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में आता हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ब) चूँकि कम्पनी ने कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाये गए रजिस्टर में आने योग्य न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टी को दिया है या लिया है, इसलिए बिन्दु संख्या (iii) (b) से (g) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4 हमारे विचार में और जो सूचना और स्पष्टीकरण हमें दिया गया है, के अनुसार कम्पनी द्वारा इसके आकार और इसके व्यापार की प्रकृति को देखते हुए कम्पनी द्वारा स्टॉक एवं स्थिर सम्पत्तियों की खरीद, बिक्री एवं माल और सेवाओं की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5. कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आने वाला कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं है। इस वास्तविकता को देखते हुए कि यहाँ कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं है जिसकी कम्पनीज एक्ट की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में प्रविष्टि की जाय, कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। अतः बिन्दु 5(बी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

Scanned with CamScanner

6.	चूँकि कम्पनी ने पब्लिक से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश एवं धारा 58 A, 58 AA या कम्पनीज एक्ट के अन्य कोई सम्बन्धित प्रावधान और इस सम्बन्ध में बनाये गये नियम लागू नहीं होते।	कोई टिप्पणी नहीं।
7.	हमारे विचार में कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप इसमें आंतरिक अंकेक्षण पद्धति लागू नहीं है।	सभी 39 उप डिपो व मुख्यालय पर आंतरिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा आंतरिक अंकेक्षण किया गया है। अतः आंतरिक अंकेक्षण पद्धति लागू है।
8.	केन्द्र सरकार के कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (I) (d) के अनुसार लागत विवरण रखने के लिए इंगित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
9.	(अ) दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा लेखा किताबों के निरीक्षण से हमें ज्ञात हुवा है कि कम्पनी ने दूसरे राज्य सरकार के संगठनों के कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं, जिनके सारे वैधानिक भुगतान जैसे भविष्य निधि और राज्य बीमा, उनके पैतृक संगठनों में जमा करा दिये गए हैं। कम्पनी सामान्यतः गैर-विवादित बकाया जैसे आय कर, बिक्री कर,सम्पदा कर, सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सैस, सर्विस टैक्स और अन्य वैद्यानिक बकाया समय पर सम्बन्धित सरकारी विभाग में नियमित जमा करवाती है। कोई भी उपरोक्त बकाया गैर-विवादित भुगतान 31 मार्च 2011 को बकाया नहीं था जो कि देय तिथि से 6 महीने पूर्व का हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ब)	हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सिवाय आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी विभाग, जयपुर-I के 'कारण बताओ नोटिस' के अंतर्गत फरवरी 2005 से अगस्त 2007 तक के विवादित सेवा कर के रू. 5, 21, 25, 843/- और वित्तीय वर्ष 2006 से 2010 तक एक्साइज डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार द्वारा परमिट फीस व वैन्ड फीस देरी से जमा कराने के कारण व्याज की राशि रू. 3,75,61,670/- की माँग के अतिरिक्त कोई भी बकाया बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, सम्पदा कर, एक्साइज ड्यूटी, सैस का कोई भी बकाया किसी विवाद के कारण देय नहीं है। आय कर विभाग ने प्रिविलेज फीस के खर्चों को अस्वीकृत मानते हुए करनिर्धारण वर्ष 2006-07 के रू. 5,33,41,990/- व वर्ष 2007-08 के रू. 6,70,20,550/- तथा वर्ष 2008-09 के रु. 9,19,86,159/- की माँग कर रखी है। कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 में रिटर्न विलम्ब से भरने के कारण रू.1,00,000=00 की पेनल्टी भी लगा रखी है। निगम ने	आयुक्त सैन्ट्रल एक्साइज जयपुर की रु.5,21,25,843/- की मांग के विरुद्ध निगम ने सर्विस टैक्स ट्रिब्युनल,नई दिल्ली में अपील की और निगम के पक्ष में बिना शर्त स्टे प्राप्त किया। एक्साइज विभाग, राजस्थान सरकार की माँग को निरस्त करने हेतु वित्त विभाग राजस्थान सरकार को प्रतिवेदन दिया है। आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध निगम ने आयकर अपील प्राधिकरण तथा आयुक्त आयकर विभाग(अपील) में अपील की थी। 2006-07 की अपील आई.टी.ए.टी. द्वारा तथा 2007-08 की अपील सी.आई.टी.(अपील) द्वारा निगम के पक्ष में स्वीकार की गई। आयकर विभाग द्वारा देरी से रिटर्न भरने की रु.1,00,000/- की पैनल्टी सी.आई.टी.(अपील) द्वारा माफ कर दी गयी।

Scanned with CamScanner

	कर-निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09की मांग के विरुद्ध रू. 1.00 करोड़ जमा करा दिए हैं। यह मामले अधिकृत प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है।	
10.	कम्पनी को 31 मार्च 2011 तक कोई संचित घाटा नहीं है। अंकेक्षित वित्तीय वर्ष की अवधि में कोई नकद हानि भी नहीं हुई है तथा ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में नकद हानियाँ नही हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
11.	कम्पनी वित्तीय संस्थाओं बैंक या ऋण-पत्र धारकों को पुनः भुगतान करने में कहीं भी दोषी नही है।	कोई टिप्पणी नहीं।
12.	कम्पनी ने शेयर, डिबैन्चर या अन्य प्रतिभूति गिरवी रख कर कोई भी ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
13.	कम्पनी कोई चिट फण्ड/निधि/म्यूचुअल बेनिफिट फण्ड/सोसायटी नहीं है। अतः कम्पनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर 2003 के क्लॉज 4 (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते।	कोई टिप्पणी नहीं।
14.	कम्पनी शेयर, प्रतिभूति, डिबैन्चर्स या अन्य निवेशों के क्रय विक्रय का धंधा या व्यापार नहीं करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
15.	कम्पनी ने दूसरों के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से उठाए गए ऋण की कोई जमानत नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	कम्पनी ने अंकेक्षण वर्ष में कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
17.	हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण व कम्पनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के अनुसार हमारा मत है कि लघु अवधि के लिए प्राप्त की गई राशि का लम्बे समय के लिए निवेश नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
18.	कम्पनी ने शेयरों का पार्टियों या कम्पनियों को कोई भी अधिमान्य आवंटन नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाये गए रजिस्टर में सम्मिलित हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
19.	इस वर्ष में कम्पनी ने न तो कोई ऋण-पत्र निर्गमित किए हैं और न ही कोई शेष है। अतः कोई भी प्रतिभूति जारी करने या उस पर कोई व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।	कोई टिप्पणी नहीं।
20.	कम्पनी के द्वारा इस वर्ष किसी भी सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
21.	हमारी राय में और हमें दीगई जानकारी व स्पष्टीकरण के आधार पर लेख है कि अंकेक्षण वर्ष में कम्पनी की न तो कोई जालसाजी दृष्टिगत हुई है और न ही ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा -परीक्षक की रिपोर्ट का उत्तर

अनुलग्नक-बी

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	उत्तर
1. माइक्रो, स्माल व मीडियम एन्टरप्राइजेज डवलपमेंट एक्ट, 2006 में आने वाले एन्टाइटीज का विवरण उपलब्ध कराया जाना था परन्तु नहीं कराया गया। अतः माइक्रो, स्माल व मीडियम डवलपमेंट एक्ट 2006 और कम्पनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं हुई। फिर भी, यह रिकार्ड पर है कि निगम ने आपूर्तिकताओं का भुगतान लिकर सोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार आर.टी.जी.एस. द्वारा सामान्यतः साप्ताहिक आधार पर करने का अनूठा तरीका अपना रखा है।	निगम सम्बन्धित पार्टियों से वांछित सूचनायें प्राप्त करने काअनुरोध करता रहा है। अभी तक किसी भी पार्टी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के लिए दावा नहीं किया है। निगम लिकर सोर्सिंग पालिसी के अनुसार आपूर्तिकर्ता को साप्ताहिक आधार पर आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान करने की पद्धति का अनुसरण कर रहा है। सामान्यतः भुगतान अधिनियम की सीमा में निश्चित व उचित समय पर हो जाता है। अतः अधिनियम के सिद्धान्त एवं शर्तों का पालन हो रहा है।
2. डेमरेज चार्जेज (रु. 2,84,35,854/-) से आय का परिकलन निगम के सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया है। परन्तु अंकेक्षण के समय संगणन एवं परिकलन का रिकार्ड हमारी पुष्टि हेतु हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः परिकलन के अंतरों, यदि कोई हैं, का चालू वर्ष के लाभों पर परिणामी प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता।	आई.टी. टी.एस.पी. मैसर्स ई-कनेक्ट सोल्युशन प्रा.लि. उदयपुर द्वारा डेमरेज आंकलन मोड्युल व संबन्धित डाटा बेस उपलब्ध नही कराया है। अतः मौजूदा सेवा प्रदाता मैसर्स ट्राई मैक्स से प्राप्त किया तदपुरान्त वित्तिय वर्ष 2010-11 हेतु डेमरेज का आंकलन किया गया यह निगम के साफ्टवेयर पर आनलाईन उपलब्ध है। अंकेक्षण की अन्तिम स्थिति में एक सूक्ष्म विसंगति आंतरिक वस्तुओ् के अन्तर डिपो स्थानान्तरण गंतव्य डिपो पर पहचान की गई जो कि र ं ह करने की प्रक्रियाधीन है। अत: डेमरेज चार्जेज की गणना कम या अधिक सही है।
3. निगम के द्वारा प्रारभिक स्टाक व अंतिम स्टाक के स्वामित्व से संबन्धित क्रय के लेखांकन करने की लेखांकनविधि लिक्कर सोर्सिंग पालिसि 2010-11 के प्रावधानो के अनुरुप नही है जो कि निगम के क्रियाकलापों को परिभाषित व शासित करता है।	1.4.09 से शराब / बियर की बिक्री पर वैट लागु होने के पश्चात स्टाक,क्रय व विक्रय का लेखांकन वैट एक्ट के अनुसार करने का दायित्व निगम का बनता है। अतः वैट के प्रावधानो के अनुसार क्रेता द्वारा उठाये गये बिलो का इन्द्राज इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने हेतु किया गया। 2009-10 में यही लेखांकन पद्धति अपनाई गई है। तथा 2010-11 में लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं है।
4. लिकर सोर्सिंग पॉलिसी (LSP) ने वर्ष 2010-11 के लिए FMFL व IMFL/Beer के लिए स्थिर मार्जिन क्रमशः 7% व 2% वर्णित किया है, जिसके अनुसार सकल मार्जिन रु.36,29,24,590/- का होता है, परन्तु वर्ष 2010-11 के लाभ-हानी खाते में सकल मर्जिन रु. 36,26,86,666/- का ही दिखाया गया है। इस प्रकार चालू वर्ष 2010-11 का सकल मार्जिन व लाभ रु. 2,37,924/- से कम दिखाया गया है।	निगम रिकार्डस को मिलान करने की प्रक्रिया में कार्यरत है। उचित मिलान करने के पश्चात इसे चालू वर्ष के लेखों में लेखांकित किया जायगा।

Scanned with CamScanner

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के राजस्थान स्टेट बेवरेज कार्पो. लि. जयपुर के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुपालना में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राज. स्टेट ब्रेवरेज कार्पो. लि. जयपुर के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धक का है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक अपने व्यावसायिक इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स इण्डिया द्वारा निर्धारित अंकेक्षण एव मानकों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने का दायित्व है। यह उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 15-9-2011 द्वारा व्यक्त की जा चुकी है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राज. स्टेट ब्रेवरेज लि. जयपुर के वित्तीय विवरण के लिए मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त अंकेक्षण किया है। यह अतिरिक्त अंकेक्षण स्वतंत्र रूप से बिना वैधानिक अंकेक्षक की प्रक्रिया अभिलेख के तथा वैधानिक अंकेक्षण के सीमित मुख्य अन्वेषण तथा कम्पनी कार्मिक तथा सीमित चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर किया गया।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अनुसार मेरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में वैधानिक अंकेक्षक की रिपोर्ट पर कुछ भी महत्वपूर्ण टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार
के लिए तथा प्रतिनिधि के रूप में

ह.
(एच. के. धर्मदर्शी)
महालेखाकार
(सी एण्ड और अंकेक्षण)
राजस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर
दिनांक : 1.11.2011

Scanned with CamScanner

RSBCL

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
प्रथम मंजिल, डी ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर
फोनः 0141-2744233/34 फैक्सः 0141-2744237

Rajasthan State Beverages Corporation Limited
(A Government of Rajasthan Undertaking)
1st Floor, D Block, Vitta Bhawan, Janpath, Jaipur
Phone : 0141-2744233/34, Fax : 0141-2744237
Website : www.rsbcl.net

Scanned with CamScanner